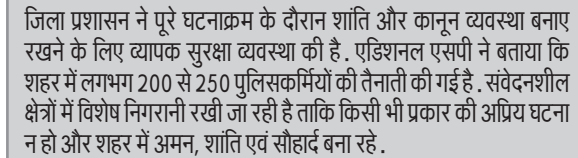


किमी का सफर तय करेगी
ट्रेन जींद से सोनीपत तक



के अनुसार इंदौर सब जौनल कार्यालय ने यह कार्रवाई इंदौर क्राइम ब्रांच द्वारा एनडीपीएस एक्ट की धारा 8 और 22 के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर

को. जांच में सामने आया कि मामले को एक प्रमुख आरोपी होने सभी ज्ञात ठिकानों से फायदा था. इसके बाद ईडी ने हैदराबाद, बंकोरान और इंदौर में कई दिनों तक खुफिया निगरानी और तहसीनी की विशेषण के जरिए उसकी तलाश की. आखिरकार आरोपी को इंदौर के एक अनात ठिकाने से ट्रेस कर उसके वहां तलाशी की कार्रवाई की गई. तलाशी के दौरान आरोपीन की 'संपत्तियों, वित्तीय लेनदेन और अपराध से अर्जित धन (प्रीसीसर्स ऑफ़ क्राइम) से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज व डिजिटल उपकरण जब्त किए हैं.